भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3217

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

3217. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है; और

(ख) क्या विगत तीन वर्षों की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोष पर कितनी लागत आई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या को शामिल किया गया है, जो 2011 के जनगणना अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है। अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में शामिल लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को ठीक करने का काम कर रहे हैं ताकि अयोग्य राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और लाभार्थी डेटाबेस गतिशील प्रकृति का है।

केंद्र सरकार उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को चुना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए सौंपी गई खाद्यान्न की मात्रा के लिए धनराशि भी जारी की जाती है। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिस पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किया जाता है, के बीच का अंतर खाद्य सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और डीसीपी राज्यों को प्रतिपूर्ति किया जाता है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार होती है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा निधि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है।

...2/-

विगत 3 वर्षों के दौरान एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	एफसीआई *	डीसीपी राज्य	(करोड़ रुपये में)
	जारी की गई सब्सिडी	जारी की गई सब्सिडी	जारी की गई कुल सब्सिडी
2022-23	200219.20	72282.49	**272501.69**
2023-24	139661.03	71733.36	**211394.39**
2024-25	129089.40	70410.27	**199499.67**
2025-26*	129080.90	63454.23	**192535.13**

*दिनांक 05.03.2026 तक की स्थिति

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना "राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न के अंतरा-राज्यीय संचलन और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए सहायता" के तहत भी धनराशि जारी की जाती है, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्न के अंतरा-राज्यीय संचलन और रखरखाव तथा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्न पर उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों के लाभ पर होने वाले व्यय की भरपाई की जा सके। विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
2022-23	8572.03
2023-24	8704.46
2024-25	6945.39
2025-26*	4595.68

*-दिनांक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार

*****

अनुबंध

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3217 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार एनएफएसए के तहत चिह्नित किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61,334
2	आंध्र प्रदेश	2,68,20,046
3	अरुणाचल प्रदेश	8,71,000
4	असम	2,48,94,794
5	बिहार	8,48,63,631
6	चंडीगढ़	3,42,954
7	छत्तीसगढ	1,99,73,683
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,63,375
9	दिल्ली	72,20,350
10	गोवा	4,76,303
11	गुजरात	3,36,90,403
12	हरियाणा	1,26,49,000
13	हिमाचल प्रदेश	28,54,661
14	जम्मू और कश्मीर	67,47,172
15	झारखंड	2,62,91,129
16	कर्नाटक	4,01,93,243
17	केरल	1,50,65,170
18	लद्दाख	1,13,803
19	लक्षद्वीप	20,095
20	मध्य प्रदेश	5,38,07,137
21	महाराष्ट्र	6,81,42,337
22	मणिपुर	21,10,378
23	मेघालय	21,36,855
24	मिजोरम	7,06,000
25	नागालैंड	11,35,570
26	ओडिशा	3,23,78,964

...2/-

27	पुडुचेरी	6,34,000
28	पंजाब	1,41,51,000
29	राजस्थान	4,39,80,284
30	सिक्किम	3,76,580
31	तमिलनाडु	3,64,70,000
32	तेलंगाना	1,90,80,021
33	त्रिपुरा	23,34,864
34	उत्तराखंड	60,23,384
35	उत्तर-प्रदेश	14,71,47,428
36	पश्चिम बंगाल	5,99,75,666
	कुल	**79,40,02,614**

*****